फा. सं. 2.6(1)/2017 सामा.II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110069

दिनांक : 16 अगस्त, 2017

निविदा आमंत्रण सूचना

परीक्षा सामग्री के प्रापण के लिए इस क्षेत्र में शामिल वेन्डर जिनका प्रत्येक विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार 50.00 लाख रूपए या इससे अधिक रहा हो से दो बोली प्रणाली के अंतर्गत ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है । निविदा का विशिष्ट विवरण इस निविदा दस्तावेज़ के अनुबंध-I में वर्णित किया गया है । परीक्षा सामग्री की अनुमानित लागत 30.00 लाख रूपए (लगभग) प्रति वर्ष (तीन वर्षों की लागत लगभग 90.00 लाख रूपए होगी) होगी ।

निविदा दस्तावेज आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा सी पी पी पोर्टल साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/appसे भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका कार्यक्रम नीचे **क्रिटिकल डेटशीट** में दिया गया है:-

क्रिटिकल डेटशीट

1.	सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	16.08.2017
2.	दस्तावेज डाउनलोड शुरू करने की तारीख	18.08.2017 (15.00 बजे)
3.	दस्जावेज डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	05.09.2017 (15.00 बजे)
4.	बोली के प्रस्तुतीकरण के शुरू होने की तारीख	19.08.2017 (15.00 बजे)
5.	ऑनलाइन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तारीख एवं समय	05.09.2017 (15.00 बजे)
6.	ऑनलाइन तकनीकी बोली को खोलने की तारीख तथा समय	07.09.2017 (15.30 बजे)
7.	जमा धरोहर राशि (ई एम डी)	1,80,000/-रू.
8.	वित्तीय बोली को खोलने का स्थान, तारीख एवं समय	तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त निविदाकर्ता को सूचित किया जाएगा

सामान्य निबंधन तथा शर्तें

1. **बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि** 05.09.2017 को 3.00 बजे अपराह्न तक है। तकनीकी बोली 07.09.2017 को 3.30 बजे अपराह्न खोली जाएगी।

बोलियां केवल सीपीपीपी वेबसाइट: https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन ही जमा करनी होंगी। निविदाकर्ता / संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे "केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल सीपीपीपी पर https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता / संविदाकर्ता के लिए अनुदेशों" में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेज़ों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित **100 dpi** के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को कम करने में मदद करता है ।

2. **बोलियों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया**

(i) बोलियां केवल केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (ई-प्रोक्योरमेंट) के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) मैन्युअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएगी

(iii) **सं. लो. से. आ. बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । सचिव, सं. लो. से. आ. का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।**

(iv) निविदा दो भागों में अर्थात् तकनीकी और वित्तीय बोली में ऑन लाइन प्रस्तुत की जाएगी ।

(v) प्रस्तुत किए जाने वाली बोली के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता के हस्ताक्षर होने चाहिएं और दस्तावेज़ों के विषय-वस्तु की प्रकृति से असंबद्ध होते हुए दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने से पहले उन पर क्रमिक रूप से संख्या दी जानी चाहिए ।

3. **<u>तकनीकी बोली:</u>**

बोलीदाता को **अनुबंध-II** में दर्शाई गई **जांच सूची** में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियां, जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो,तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होंगी:-

(क) पैन कार्ड की प्रति ।

(ख) फर्म का विवरण अर्थात् अनुबंध-Vके अनुसार मालिक का विवरण, कार्यालय का पता, फोन नं. मोबाईल नं.

(ग) टिन सं. एवं जी एस टी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ।

(घ) वर्ष 2013-14,2014-15 तथा 2015-16 सहित विगत 3 वर्ष (तीन वर्ष) की आयकर विवरणी की स्कैन की गई प्रतियां।

(ङ) यदि एन एस आई सी, एम एस एम ई से पंजीकृत हैं तो पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।

(च) फर्म के मालिक / साझेदार की सूची तथा उनका टेलीफोन नं.।

(छ) तकनीकी बोली के खुलने की तारीख से बोली छः महीने के लिए वैध रहेगी ।

(ज) बोली की प्राप्ति के लिए उपर्युक्त पैरा-1 में दर्शाई गई निर्धारित तारीख एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(झ) तकनीकी बोली के साथ नमूने की प्रस्तुति अनिवार्य है। नमूने की अनुपस्थिति में बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(ञ) बोलीदाता सभी कार्य दिवसों में 3.00 बजे अपराहन से 5.00 बजे अपराहन के बीच सामान्य II अनुभाग (टेलीफोन नं. 23381141) में विद्यमान नमूने देख सकते हैं।

4. **<u>पात्रता शर्तें:</u>**

(क) वर्ष 2015-2016 सहित प्रत्येक <u>विगत तीन वर्षों की</u> लेखा परीक्षा की गई तुलन पत्रों अर्थात पूर्ववर्ती प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार **50.00 लाख** रूपए या इससे अधिक से संबंधित समर्थित दस्तावेज की स्कैन्ड प्रतियां ।

(ख) बोलीदाता को विगत तीन वर्षों से उसी प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करने के क्षेत्र में होना चाहिए। इस अपेक्षाओं के लिए बोलीदाता वर्ष 2014 या इससे पुरानी क्रय आदेश / कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत करेंगे । बोली प्रस्तुत करने की तारीख से विगत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग कम से कम 2 क्रय आदेश / क्रय आदेश की प्रतियों सहित उन संगठनों की स्कैन की गई सूची जहां फर्म ने सामग्री की आपूर्ति है या इस प्रकार की सामग्री की आपूर्ति कर रहा है ।

(ग) 1,80,000/- रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की स्कैन्ड प्रति ।

(घ) वित्तीय बोली में वर्णित एक या उससे अधिक या सभी मदों को उद्धृत करने / बोली में भागीदारी के लिए बोलीदाता स्वतंत्र है । मदों के दो समरूप नमूने जिसके लिए बोलीदाता भाग ले रहे है को प्रस्तुत करना अनिवार्य है । नमूने के एक सेट में संबंधित फर्म का कोई चिन्ह या मुहर नहीं होनी चाहिए । नमूने के दूसरे सेट में फर्म को अपनी मुहर लगानी चाहिए तथा हस्ताक्षर करनी चाहिए। नमूने को अलग सीलबंद लिफाफे में डालकर उस पर मोटेअक्षरों में "परीक्षा सामग्री की पैकेंजिंग में प्रयुक्त मदों की आपूर्ति हेतु नमूने" लिखा जाना चाहिए । अवमानक नमूने को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और उस बोलीदाता के तकनीकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। इन नमूनें के बैगर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

5. **<u>तकनीकी बोली का मूल्यांकन:</u>**

तकनीकी बोली का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों और नमूनों के आधार पर किया जाएगा । दस्तावेज़ों की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति (त.मू.स.) द्वारा किया जाएगा । नमूनों की जांच नि.आ.सू. में दिए गए विनिर्दिष्टताओं के आधार पर प्रयोक्ता शाखा की समिति द्वारा किया जाएगा ।

6. **<u>वित्तीय बोली का मूल्यांकन:</u>**

(i) बोली मूल्य की अनुसूची केवल पी डी एफ फार्मेट में प्रस्तुत की जानी चाहिए । बोलीदाता पूर्ण रूप से दर को मूल्य अनुसूची (अनुबंध-I) के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे। दरों में सं. लो. से. आ. में सामग्री की ढुलाई एवं अनलोडिंग से संबंधित सभी प्रभार शामिल होंगे ।

(ii) केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को खोला जाएगा जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करेंगे । वित्तीय बोली को खोलने की तारीख की सूचना संबंधित फर्म को अलग से दी जाएगी ।

(iii) कर यदि कोई हो,को अलग से उद्धृत किया जाएगा, इसके न होने पर उद्धृत दर को कर में शामिल माना जाएगा और कर को जोड़ने संबंधी अनुवर्ती अनुरोध पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा । इन करों को समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है ।

(iv) विशेष निविदा के चयन या अस्वीकृति के लिए कारणों को प्रकट नहीं किया जाएगा । सं. लो. से. आ. उन निविदाकर्ताओं, जो बिना कोई कारण बताए चाहे जो भी हो अनुदेशों के अनुपालन में असुल रहते है सहित किसी भी निविदा को अस्वीकार करने और निम्नतम या किसी विशेष निविदा को स्वीकार करने के प्रति बाध्य नहीं है, के सभी अधिकारों को सुरक्षित रखता है। इस संबंध में सं. लो. से. आ. का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी है ।

(v) वित्तीय बोली का मूल्यांकन क्रय के प्रत्येक मद के लिए अलग अलग किया जाएगा और एन पी वी के आधार पर क्रय के प्रत्येक मद के लिए संविदा दर निम्नतम मूल्यांकित अनुक्रियात्मक निविदा के लिए अलग से दिया जाएगा । एन पी वी की गणना अनुबंध-I पर दी गई वित्तीय बोली के प्रपत्र में वर्णित किया गया है ।

7. **<u>जमा धरोहर राशि</u>**

क्रिटिकल डेटशीट में उल्लिखित बोली खुलने की तारीख एवं समय को या उससे पहले सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ डी आर / बैंक गारण्टी के रूप में 1,80,000/- रुपये (एक लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) की जमा धरोहर राशि के मूल लिखत की हार्ड प्रति संघ लोक सेवा आयोग में जमा कर दी जाए। वे फर्म जो एन एस आई सी / डी जी एस एंड डी के साथ पंजीकृत है तथा किसी अन्य संगठन जिसे नियमों के अंतर्गत धरोहर राशि जमा करने से छूट दी गई है, को दस्तावेज़ीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर धरोहर राशि जमा करने से छूट दी जाएगी । अन्य बोलीदाताओं को ऊपर दिए गए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जमा धरोहर राशि अंतिम बोली वैधता अवधि के परे 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि तक वैध रहेगी ।

असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हें वापस लौटा दी जाएगी और सफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर उन्हें वापस लौटा दी जाएगी । जमा धरोहर राशि और निष्पादन प्रतिभूति पर किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

8.**<u>निष्पादन प्रतिभूति</u>**:

सफल बोलीदाता को कुल वार्षिक संविदा मूल्य की 5% की दर से निष्पादन प्रतिभूति आशय पत्र की प्राप्ति से 10 दिनों के अंदर दिल्ली में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ डी आर / बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी । संविदा अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने तक निष्पादन प्रतिभूति आयोग द्वारा अपने पास रखी जाएगी। निष्पादन प्रतिभूति वारण्टी दायित्व सहित सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने तक 60 (साठ) दिनों की अवधि तक वैध रहेगी ।

9. **<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें:</u>**

(i) काल्पनिक और / या सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ii) सामग्री की विनिर्दिष्टताओं में किसी भी विचलन की स्थिति में यह निविदाकर्ता के जोखिम पर पूरी आपूर्ति की अस्वीकृति के अध्यधीन होगा ।

(iii) चुंकि संविदाकर्ता को प्रदान किए गए कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं, खंड-12 में दी गई समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए । सामग्री की कम या दर से की गई आपूर्ति की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले कुल बिल पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामग्री की घटिया गुणवत्ता के लिए कुल बिल का 5% की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकती है ।

(v) संविदा की वैधता के दौरान इस कार्यालय की अपेक्षानुसार मदों की मात्रा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।

(vi) कोई भी बोलीदाता अवमानक / घटिया गुणवत्ता वाली / नकली / जाली / वे सामग्री जिसकी तारीख समाप्त हो चुकी है और होने वाली है से संबंधित उत्पाद की आपूर्ति करते हुए पाए जाते

है तो उन्हें सरसरी तौर पर काली सूची में डाल दिया जाएगा और उनकी निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा ।

(vii) संविदा प्रदान किए जाने की तारीख संविदा 03 (तीन) वर्षों के लिए वैध रहेगी । संविदा की अवधि के लिए उद्धृत की गई दर प्रत्येक वर्ष के लिए वैध रहेगी तथा निबंधन एवं शर्तों पर एवं तीसरे वर्ष की दर पर इस कार्यालय के विवेकाधिकार पर आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

10. **<u>आयकर:</u>**

यथा लागू बिलों से स्त्रोत पर वसूली योग्य। बोलीदाताओं को अपना स्थायी आयकर खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना होगा । उन्हें **अनुबंध-**IV पर दिए गए अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आयकर / संपत्ति कर छुपाने के लिए दंडित या दोषी नहीं पाया गया है ।

11. **<u>जोखिम क्रय खंड:</u>**

यदि बोलीदाता, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने और आदेश प्राप्त होने के बाद बोली दस्तावेज़ों के निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है और / अथवा नियत कार्यक्रम के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने में असफल रहता है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करता है, तब सं.लो.से.आ. के पास जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के जोखिम और परिणाम पर अन्य फर्म द्वारा कार्य कराने का अधिकार होगा।

वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म की बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों और कर, मालभाड़ा और बीमा आदि के साथ फर्म से की जाएगी। यदि संघ लोक सेवा आयोग वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से सामग्री प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है और लागत कम होने पर इस मुद्दे पर कोई लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा ।

12.**<u>निर्धारित क्षति/शास्ति:</u>**

प्रत्येक आपूर्ति आदेश की प्राप्ति के 20 दिन के अन्दर कार्य सम्पन्न करना होगा अन्यथा प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए विलम्बित वस्तुओं की कीमत के 0.5% की दर से निर्धारित क्षति जो कि उस विशेष आपूर्ति आदेश के अधिकतम 10% के अध्ययधीन होगी, अधिरोपित की जाएगी। 10 दिन सं अधिक का विलम्ब होने पर संघ लोक सेवा आयोग आपूर्ति आदेश निरस्त कर सकता है तथा निष्पादन

प्रतिभूति की पूर्ण राशि अथवा वह राशि जो उचित समझे, को जब्त कर सकेगा और बोलीदाता के जोखिम एवं लागत पर सामग्री को किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर सकेगा । सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

13. **सुपुर्दगी:**

आपूर्ति आदेश के जारी होने की तारीख से 20 दिन के भीतर संघ लोक सेवा आयोग के गोपनीय शाखा के स्ट्रांग रूम में सुपुर्द की जाएगी। इन मदों का क्रय सामान्यत: तिमाही आधार पर की जाएगी । तथापि, आपात स्थिति में आपूर्तिकर्ता को अपेक्षित मद (मदों) की तत्काल आपूर्ति के लिए कहा जा सकता है और इन मदों को कार्यालय में भेजने का व्यय का वहन केवल संबंधित फर्म द्वारा किया जाएगा ।

14.**भुगतान:**

सामग्री की सफलतापूर्वक आपूर्ति के बाद भुगतान की राशि जारी की जाएगी । कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।

15. **मध्यस्थता:**

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी निर्णय, अर्थ तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो, तो ऐसे में विवाद का निपटान मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

16. **क्षेत्राधिकार:**

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्यवाही जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नही होगी और दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे ।

17. **<u>अनिवार्य बाध्यता:</u>**

फर्म, अपने नियंत्रण से परे कारणों से निष्पादन में विफल रहने जिसमें दैवी घटना, युद्ध, दंगा, तालाबन्दी, किसी सरकारी प्राधिकरण की कार्रवाई, लाइसेंस प्राप्त करने में विलम्ब अथवा सांविधि के अंतर्गत आवेदन पत्र अस्वीकृत होने, फर्म की किसी विद्युत विफलता की दुर्घटना या व्यवधान या प्रचालन शामिल है, पर उत्तरदायी नहीं ठहराई जाएगी।

18. नमूने की आपूर्ति नि:शुल्क की जाएगी और किसी भी स्थिति में उन्हें लौटाया नहीं जाएगा। नमूने के बिना बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा । बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत केवल वे नमूने जो तकनीकी रूप से अर्हक पाए गए है को वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा ।

19. नमूने के बिना बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा । बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत केवल वे नमूने जो तकनीकी रूप से अर्हक पाए गए हैं, को वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा ।

20. **<u>निबंधन एवं शर्तों को भंग करना</u> :**

उपर्युक्त किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताए आपूर्ति आदेश को निरस्त कर दें और इस स्थिति में सं. लो. से. आ. द्वारा कुछ भी अदा नहीं किया जाएगा और जमा प्रतिभूति भी जब्त समझी जाएगी ।

21 संविदाकर्ता को यह सावधानी बरतनी होगी कि कार्य या उसके भाग किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथों में न जाए ।

(आर. के. दीक्षित)

अवर सचिव (सा.II)

अनुबंध- I

निम्नलिखित वित्तीय प्रस्ताव/ वाणिज्यिक बोली फार्मेट कोhttps://eprocure.gov.in/eprocure/app में इस निविदा दस्तावेज सहित पीडीएफ में दिया गया है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और अपेक्षित कॉलम में अपना प्रस्ताव/दर उद्धृत करें तथा इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। बोलीदाता किसी भी रूप में डाउनलोड किए गए बोली मूल्य टेम्पलेट को टेम्पर/आशोधित न करें। यदि यह किसी भी प्रकार से टेम्पर किया गया/आशोधित पाया जाता है तो निविदा को तत्काल पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा और जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा निविदाकर्ता पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है ।

संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा सामग्री के प्रापण के लिए निविदा

क्रम सं.	मद	मात्रा(संख्या में)			यूनिट दरें			यथा लागू कर
		प्रथम वर्ष	दूतीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	दूतीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पोलीथीन बैग पारदर्शी 70 माईक्रोन लम्बाई X चौड़ाई 48 X 37 से.मी.	55,000	55,000	55,000				
2.	हल्का भूरा एडेसिव टेप 0.3 इंच चौडाई तथा बीच में (काले रंग में1.7 से.मी. फांट साईज) जिसमें “सं. लो. से. आ.”बड़े अक्षरों में मुद्रित हो सहित 55	2,35,000	2,50,000	2,50,000				

	माईक्रोन मोटाई							
3.	पारदर्शी सफेद एडेसिव टेप 0.3 इंच चौडाई तथा एक तरफ सामने में काले रंग में 0.5 से.मी. में “सं. लो. से. आ.” छोटे रूप में मुद्रित हो सहित 55 माईक्रोन मोटाई	2,80,000	3,00,000	3,00,000				
4.	थर्मोसीट लम्बाईX चौड़ाई X मोटाई=11X9X1.5 इंच	20,000	20,000	20,000				
5.	थर्मोसीट लम्बाईX चौड़ाई X मोटाई=11X9X0.5 इंच	20,000	20,000	20,000				
6.	टाईपिन लम्बाई 12 इंच	20,000	20,000	20,000				
7.	**प्लास्टिक टेग सुरक्षा सील** पीले रंग में जिसमें एक तरफ काले रंग में “सचिव, संघ लोक सेवा आयोग,धौलपुर हाऊस,शाहजहां रोड नई दिल्ली -110069” छपा हो	30,000	50,000	50,000				

(उपर्युक्त निर्दिष्ट मात्रा संभावित है जिसे संघ लोक सेवा आयोग की वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है) ।

टिप्पणी

1. कर, यदि कोई हो, को अलग से उद्धृत किया जाएगा इसके न होने पर उद्धृत की गई दर को कर में शामिल समझा जाएगा और इस कार्यालय द्वारा करों को शामिल करने के अनुवर्ती अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । इन करो को समय समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है ।

2. दरों में संघ लोक सेवा आयोग में सामग्री की ढुलाई / अनलोडिंग से संबंधित सभी प्रभार शामिल होंगे।

3. अनुमानिक वार्षिक मात्रा संभावित हे और संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षा के अनुसार बढ़ोतरी अथवा कमी हो सकती है ।

4. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वे नमूने जो तकनीकी रूप से अर्हक पाए जाएंगें, उन्हीं का वित्तीय मूल्यांकन किया जाएगा। नमूनों का अनुमोदन संघ लोक सेवा आयोग के प्रयोक्ता शाखा द्वारा किया जाएगा और उसके परिणाम सभी बोलीदाताओं पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

कुल वर्तमान मूल्य (एन पी वी) के निर्धारण हेतु मानदंड

वर्ष-वार डिस्काउटिंग की दर 10% उद्धृत की जाएगी । इसलिए एन पी वी के आधार पर एल-1 पर निर्णय लिया जाएगा जिसका परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा:-

एन पी वी -{वाई 1+ वाई 1/ (10.1)+ वाई3/ $(10.1)^2$}

एन पी वी का अर्थ कुल वर्तमान मूल्य

वाई 1 का अर्थ प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत दर

वाई 2 का अर्थ द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत दर

वाई 1 का अर्थ तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत दर

उदाहरण के लिए यदि प्रथम वर्ष (वाई 1) के लिए उद्धृत दर 1000 है, दूसरे वर्ष (वाई2) के लिए उद्धृत दर 1200 और तृतीय वर्ष (वाई 3) के लिए उद्धृत दर 1400 है तोएन पी वी निम्नानुसार होगा :-

एन पी वी =1000+(1200/1.1)+ (1400/1.21)

= 1000+1090.91+1157.02

=3247.93

इस प्रकार एन पी वी 3247.93/- रू. है । एल-1 वेंडर का चयन बोली प्रस्तुत करते समय लागू कर सहित एन पी वी के आधार पर होगा। तथापि, एल-। वेंडर को भुगतान वेंडर द्वारा उद्धृत की गई वर्ष-वार दर के आधार पर किया जाएगा ।

(आर. के. दीक्षित)

अवर सचिव (सा.II)

महत्वपूर्ण टिप्पणी:मदो की विनिर्दिष्टताएं **अनुबंध-II** पर दी गई है

अनुबंध-II

संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा सामग्री की मदों की विनिर्दिष्टताएं

क्रम सं.	मद	विनिर्दिष्टताएं
1.	2.	3.
1.	पोलीथीन बैग पारदर्शी	लम्बाई तथा चौड़ाई 48 X 37 से.मी., मोटाई 70 माईक्रोन
2.	हल्का भूरा एडेसिव टेप	0.3 इंच चौडाई तथा बीच में (काले रंग में 1.7 से.मी. फांट साईज) जिसमें "सं.लो.से.आ." बड़े अक्षरों में मुद्रित हो सहित 55 माईक्रोन मोटाई
3.	पारदर्शी सफेद एडेसिव टेप	0.3 इंच चौडाई तथा एक तरफ सामने में काले रंग में 0.5 से.मी. में "सं.लो.से.आ." छोटे रूप में मुद्रित हो सहित 55 माईक्रोन मोटाई
4.	थर्मोसीट	लम्बाईX चौड़ाई X मोटाई=11X9X1.5 इंच
5.	थर्मोसीट	लम्बाईX चौड़ाई X मोटाई=11X9X0.5 इंच
6.	टाईपिन	लम्बाई 12 इंच
7.	प्लास्टिक टेग सुरक्षा सील	पीले रंग में जिसमें एक तरफ काले रंग में "सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड नई दिल्ली-110069" छपा हो

अनुबंध-III

जांच सूची

पृष्ठ सं.

1.	क्या वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 की आयकर विवरणी की प्रतियां संलग्न की गई है ?	**हां/नहीं**
2.	क्या वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 की लेखा परीक्षा की गई तुलन पत्र की प्रतियां संलग्न की गई है ?	**हां/नहीं**
3.	(क)क्या फर्म के कार्य आदेश / क्रय आदेश की प्रति के साथ साथ उन संगठनों की सूची जहां फर्म ने उसीप्रकार का कार्य निष्पादित किया है ? (ख) क्या पांच वर्ष के अनुभव अर्थात वर्ष 2012 से 2016 तक की क्रय आदेश की प्रतियां संलग्न की गई है ? (ग) क्या विगत पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान कम से कम 2 क्रय आदेशों / कार्य आदेशों की प्रतियां ?	**हां/नहीं** **हां/नहीं** **हां/नहीं**
4.	क्या जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड की प्रति संलग्न की गई है ?	**हां/नहीं**
5.	क्या नमूना संलग्न किया गया हैं?	**हां/नहीं**
6.	क्या1,80,000/- रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) या ई एम डी में छूट के लिए दस्तावेज़ी साक्ष्य की प्रति संलग्न की गई है?	**हां/नहीं**
7.	क्या फर्म के मालिक / साझेदार की सूची तथा उनका फोन नं. संलग्न किया गया है ?	**हां/नहीं**
8.	क्या बोली में लागू करों को अलग से उद्धृत किया गया है?	**हां/नहीं**

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म का नाम एवं पता

दूरभाष सं/.मोबाइल सं/.फैक्स सं

अनुबंध-IV

परीक्षा सामग्री के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

आपके दिनांक ..... के निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में हमने ..... (फर्म का नाम एवं पता) परीक्षा सामग्री के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते है :-

1. कि हमें निविदा की सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं।
2. कि मुझे / हम लोगो को तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय / धन को छिपाने के लिए दंडित नहीं किया गया है और नही दोषी पाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म/बोलीदाता का नाम और पता

ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है । नीचे दिए गए अनुदेश का तात्पर्य सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है। सीपीपीपी पोर्टल पर ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https : // eprocure.gov.in / eprocure /appसे प्राप्त की जा सकती है ।

पंजीकरण:

1. बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: https:// eprocure.gov.in/eprocure/app) (सी पी पी पोर्टल) पर "ऑन लाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट" के लिंक पर क्लिक करके जो प्रभार रहित है, पर इनरॉल करना अपेक्षित है ।
2. इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा ।
3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें । इसे सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।
4. इनरॉलमेंट पर बोलीदाताओं को अपने-अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात सिफी/टी सी एस/एन कोड/ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूसेज सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा ।
5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत करना चाहिए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।
6. बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी/पासवर्ड और डी एस सी/ई-टोकन को पासवर्ड को प्रविष्ट कर साइट पर लॉग करें ।

निविदा दस्तावेज़ की खोज:

1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद है, विभिन्न प्राचलों द्वारा सक्रिय निविदा की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है । इन प्राचलों में निविदा आई डी, संगठन का नाम स्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे। निविदा की उन्नत खोज के लिए एक

और विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता खोज प्राचलों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा फर्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए शामिल कर सकते है ।

2) अपनी रूचिकी निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ / निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं । ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं । यह सी पी पी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी देने की क्षमता प्रदान प्रदान करेगा।

3) प्रत्येक निविदा को दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए, यदि बोलीदाता हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते हैं ।

<u>बोली को तैयार करना:</u>

1) अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ के संबंध में प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए ।

2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेजो को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें और बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजो को समझ लें। कृपया लिफाफे की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें । इनसे उत्पन्न किसी प्रकार के विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है ।

3) बोलीदाता को अग्रिम में बोली दस्तावेज़ / अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / आर ए आर / डी डब्ल्यू एफ / जे पी जी फार्मेट में होने चाहिए । बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को छोटा करने में मदद करता है।

4) उसी प्रकार के अपेक्षित मानक दस्तावेज़ों को अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं को मुहैया कराया गया है। ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाताउनको उपलब्ध"माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते है। बोली को प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को कम करेगा ।

<u>बोली को प्रस्तुत करना :</u>

1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम में साइट पर लॉग-इन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे ।
2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजो को डिजीटल हस्ताक्षर करके एक-एक कर अपलोड करना हैं ।
3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क / जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफ लाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण के विवरण को प्रविष्ट करना होगा ।
4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए । मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथा निर्दिष्ट तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथावर्णित तारीख तक भेजा जाना चाहिए । डिमांड ड्राफ्ट/कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के समय के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
5) बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोली को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है । यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बी ओ क्यू फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उक्त को डाउन लोड करने और उसे सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाए । बोलीदाताओं को बी ओ क्यू फाइल डाउन लोड करना अपेक्षित है, इसे खोलें और अपने वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें । किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें । एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑन लाइन प्रस्तुत कर दें । यदि बी ओ क्यू फाइल को बोलीदाता द्वारा आशोधित किए जाते हुए पाया जाता है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी ।
6) सर्वर टाइम (जिसे बोलीदाता के डेशबोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि को संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा । बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए ।
7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन प्रविधि पी.के.आई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके । बोली को खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है ।

इन्क्रिपशन प्रौद्योगिक के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है । संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है । कोई बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर पर अपलोड किया गया है जो क्रर्मिक कुंजी जनित प्रणाली का उपयोग करते हुए क्रमिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन है । इसके अतिरिक्त यह कुंजी एसमैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता/ बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है । समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदाके खोलने के बाद ही केवल पठनीय होगा ।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारी द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होंगे ।

9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में "फ्रिज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी ।

10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली के प्रस्तुतीकरण के पावती के रूप में इसे रख लें । इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

<u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

1) निविदा दस्तावेज़ उनमें समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्तिको संबोधित की जानी चाहिए ।

2) ऑन लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछताछ को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते हैं । हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 1800 3070 2232 है । बोलीदाता +91-7878007972 एवं + 91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं ।